WS

NITIN GOEL
Advocate
Regn. No. 5123/05
47, Teen Shade, Civil Court
Meerut, Mob.: 9917000868

CNR No. UPME01-008709-2019

न्यायालय सिविल जज (सीनियर डिवीजन) मेरठ

वाद संख्या 104 सन 2019

अनीता बनाम योगेश कुमार त्यागी

कोर्ट फी COURT FEE Rs.5 5 रु. भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

कोर्ट फी COURT FEE Rs.5 5 रु. भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

6

- 3 JAN 2020

न्यायालय ... एवं ... न्यायाधीश मेरठ

11
19/12/2019

- 3 JAN 2020

- 3 JAN 2020

न्यायालय सिविल जज सी0डि0, मेरठ।

वाद संख्या–104 सन् 2019

श्री आदिनाथ बनाम् योगेश कुमार त्यागी आदि

प्रतिवादपत्र ओर से प्रतिवादीगण निम्न प्रकार हैं–

1. यहकि वादपत्र की धारा–1 का कथन रिकॉर्ड का विषय होने के कारण किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

2. यहकि वादपत्र की धारा–2 का कथन रिकॉर्ड का विषय होने के कारण किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

3. यहकि वादपत्र की धारा–3 का कथन रिकॉर्ड का विषय होने के कारण किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

4. यहकि वादपत्र की धारा–4 का कथन रिकॉर्ड का विषय होने के कारण किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है परन्तु यहां यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि धारा–4 में अंकित समस्त भूमि की स्वामी वादी फर्म हो गई थी चूंकि उक्त फर्म में प्रतिवादीगण द्वारा भागीदार बनने से पूर्व अपने कैपिटल कन्ट्रीब्यूशन यानी पूंजीअंश के बदले उक्त सम्पत्ति फर्म को पूल डाउन कर दी गई थी।

5. यहकि वादपत्र की धारा–5 का कथन रिकॉर्ड का विषय होने के कारण किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

6. यहकि वादपत्र की धारा–6 का कथन जिस प्रकार वर्णित है स्वीकार नहीं है परन्तु यह स्वीकार है कि प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 07.01.2019 को वादी फर्म से रिटायरमैन्ट लेकर एवं अपना समस्त कन्ट्रीब्यूशन बैंकिग सिस्टम द्वारा प्राप्त कर लिया गया है तथा अब प्रतिवादीगण का प्रश्नगत सम्पत्ति जिसका सम्पूर्ण विवरण वादपत्र की धारा–4 में दिया गया है, से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध अथवा वास्ता नहीं रहा है तथा प्रश्नगत सम्पत्ति फर्म की सम्पत्ति है तथा प्रश्नगत सम्पत्ति पर फर्म का ही अधिपत्य है।

2405/2

7. यहकि वादपत्र की धारा–7 का कथन वैधानिक होने के कारण किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

8. यहकि वादपत्र की धारा–8 के कथन पर किसी भी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। प्रश्नगत सम्पत्ति की स्वामी फर्म ही है।

9. यहकि वादपत्र की धारा–9 का कथन असत्य होने के कारण स्वीकार नहीं है। उक्त धारा में प्रतिवादीगण पर वादी फर्म द्वारा लगाये गये सभी आरोप गलत है तथा किसी गलतफहमी के आधार पर लगाये गये है जबकि जैसा कि ऊपर वर्णित किया जा चुका है कि प्रतिवादीगण का प्रश्नगत सम्पत्ति जोकि वादी फर्म की सम्पत्ति है, के स्वामित्व अथवा अधिपत्य से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है और ना ही प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के शांतिपूर्ण अधिपत्य में कभी भी हस्तक्षेप किया क्योंकि वादी फर्म ही प्रश्नगत सम्पत्ति की विधिपूर्ण स्वामी है।

10. यहकि वादपत्र की धारा–10 का कथन असत्य होने के कारण स्वीकार नहीं है। वादी को प्रस्तुत वाद योजित करने का कोई वादकारण उत्पन्न नहीं है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध उन्हें तंग व परेशान करने के उद्देश्य से किया हैं इसलिये वाद खण्डित होने योग्य है।

11. यहकि वादपत्र की धारा–11 का कथन वैधानिक होने के कारण किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

12. यहकि वादपत्र की धारा–12 के कथन पर किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। माननीय न्यायालय वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये उचित आदेश पारित किये जावे।

विशेष कथन

13. यहकि वादी फर्म द्वारा प्रस्तुत वाद बिना किसी कारण के प्रतिवादीगण को तंग व परेशान करने के उद्देश्य से योजित किया है इसलिये वाद, वादी खण्डित होने योग्य है।

14. यहकि वादी फर्म जोकि रियल एस्टेट एवं कॉलोनाईजिंग का कार्य करती है द्वारा प्रतिवादीगण के सम्पर्क में आने पर प्रतिवादीगण द्वारा उक्त फर्म में भागीदार बनने की इच्छा जाहिर करने पर फर्म के सभी भागीदारों द्वारा आपसी सहमति से प्रतिवादीगण को फर्म में 12.5 प्रतिशत प्रत्येक यानि 25 प्रतिशत भाग के वादी फर्म में भागीदार होंगे। इस सम्बन्ध में वादी फर्म के तत्कालीन

(1) (2)

भागीदारों एवं प्रतिवादीगण के मध्य प्रतिवादीगण को फर्म में भागीदार बनाने हेतु एक पार्टनरशिप डीड दिनांक 01.10.2018 को निष्पादित हुई थी जिस पर वादी फर्म के तत्कालीन भागीदारों एवं प्रतिवादीगण द्वारा अपने–अपने हस्ताक्षर किये गये थे तथा प्रश्नगत सम्पत्ति को फर्म में अपने कैपिटल कन्ट्रीब्यूशन में पूल डाउन कर दिया गया था तथा उक्त दिनांक के पश्चात् प्रतिवादीगण के स्वामित्व की सम्पत्ति जिसका सम्पूर्ण विवरण वादपत्र की धारा–4 में दिया गया है, वादी फर्म की सम्पत्ति हो गई तथा उक्त दिनांक के पश्चात् से प्रतिवादीगण का प्रश्नगत सम्पत्ति अथवा उसके अधिपत्य से व्यक्तिगत रूप से कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नहीं रहा।

15. यहकि तत्पश्चात् फर्म के भागीदारों एवं प्रतिवादीगण के मध्य इस बात को लेकर विवाद हो गया कि प्रश्नगत सम्पत्ति को किसी प्रकार डवलप किया जावे क्योंकि प्रश्नगत सम्पत्ति के डवलपमैन्ट के सम्बन्धि में प्रतिवादीगण एवं अन्य भागीदारों की ओपीनियन भिन्न–भिन्न थी इसलिये प्रतिवादीगण द्वारा स्वयं को अपने हिस्से की धनराशि देकर फर्म से अलग होने का प्रस्ताव फर्म के अन्य भागीदारों के समक्ष रखना पडा जिसमें कशमाकश होने के पश्चात् एक निश्चित धनराशि पर वादी फर्म के तत्कालीन भागीदारों द्वारा प्रतिवादीगण को बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से उक्त धनराशि अदा कर दी गई तथा इस सम्बन्ध में वादी फर्म के भागीदारों एवं प्रतिवादीगण के मध्य एक अन्य पार्टनरशिप कम रिटायरमैन्ट डीड दिनांक 07.01.2019 को निष्पादित हुई तथा उक्त डीड के द्वारा प्रतिवादीगण वादी फर्म से रिटायर हो गये तथा इसके बाद से उनका वादी फर्म अथवा उसकी प्रश्नगत सम्पत्ति से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है।

16. यहकि प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 07.01.2019 के पश्चात् से कभी भी वादी फर्म द्वारा प्रश्नगत सम्पत्ति पर किये जाने वाले किसी भी विकास कार्य में कभी कोई अडचन पैदा नहीं की। प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादी फर्म की ओर से लगाये गये समस्त आरोप असत्य मिथ्या एवं कपोलकल्पित है जिनसे प्रतिवादीगण का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है।

17. यहकि वादी फर्म द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत वाद बिना किसी कारण के योजित किया है जबकि प्रतिवादीगण द्वारा वादपत्र के अवलोकन से कोई वाद कारण प्रतिवादीगण के विरूद्ध उत्पन्न नहीं होता है।

18. यहकि प्रतिवादीगण को वादी के वाद में न्यायालय द्वारा उचित आदेश पारित करने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है तथा न्याय के हित में आवश्यक

है कि मामले के तथ्यों एवं परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुये उचित आदेश पारित किये जावे।

सत्यापन

हम प्रतिवादीगण उपरोक्त प्रमाणित करते है कि प्रतिवादपत्र की धारा–1 ता 9 तथा 14 ता 16 कथन हमारे निजी ज्ञान एवं रिकॉर्ड तथा धारा–10 ता 13 एवं 17, 18 का कथन वैधानिक मंत्रणा के आधार पर हमारे विश्वास में सब सत्य है।

प्रमाणित स्थान–मेरठ।

दिनांक 24.04.2019

प्रतिवादीगण

द्वारा अधिवक्ता।

RAHUL SHARMA
Advocate
En. No. UP 728/17
F-19, New Law Chambers Building
Civil Court Compound, Meerut
Mob. 9760314316

COPY XEROXED & COMPARED
WORDS COUNT.........
CIVIL COURT. MEERUT

सत्य प्रतिलिपि
मुख्य प्रतिलिपिक
कचहरी मेरठ
-3 JAN 2020